राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 7(51)परि/नियम/मु./2006/पार्ट-III/30653 जयपुर, दिनांक 20.11.2015

कार्यालय आदेश 36/2015

विभाग द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 12/2009 दिनांक 04.05.2009 एवं 22/2009 दिनांक 07.08.2009 से प्रति परिवहन निरीक्षक/उप-निरीक्षक चालन परीक्षण संख्या के मानदण्ड निर्धारित किये गये थे। साथ ही लाईसेंस आवेदकों को चालन परीक्षण हेतु दिनांक/समय देने की प्रक्रिया का भी निर्धारण किया गया था। विगत् समय में यह संज्ञान में लाया गया है कि परिवहन कार्यालयों में परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षकों द्वारा निर्धारित संख्या से भी अधिक संख्या में चालन परीक्षण कर लाईसेंस जारी किये जा रहे है, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है। सम्प्रति यह आवश्यक है कि नियमानुसार ड्राईविंग लाईसेंस परीक्षण में लगने वाला न्यूनतम समय सुनिश्चित किया जाकर प्रतिदिन निरीक्षक/उप-निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले वाहन चालन परीक्षण संख्या के मानदण्ड निर्धारित किया जावें।

अतः विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश 12/2009 दिनांक 04.05.2009 एवं 22/2009 दिनांक 07.08.2009 की निरन्तरता में निम्न आदेश प्रसारित किये जाते हैः-

1. प्रथम चरण में समस्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में शनिवार/रविवार को भी परिवहन निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों को रोटेशन के आधार पर चालन परीक्षण हेतु लगाया तथा यह सुनिश्चित किया जावें कि इन दोनों दिवसों में चालन परीक्षण के पश्चात विगत् सप्ताह का एक भी आवेदक चालन परीक्षण से वंचित न रहे।

2. सामान्यतः दुपहिया परीक्षण की जांच में 5 मिनट तथा चार पहिया वाहन चालन परीक्षण की जांच मे 8-10 मिनट का समय लगता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि संपूर्ण राज्य में प्रति परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक प्रतिदिन 50 चौपहिया अथवा 100 दुपहिया चालन क्षमता की जांच कर सकेगा। एक चार पहिया यान चालन परीक्षण की जांच को दो दुपहिया चालन परीक्षण के समकक्ष माना जावेगा अर्थात् एक परिवहन निरीक्षक/उप-निरीक्षक प्रतिदिवस 100 यूनिट से अधिक चालन परीक्षण नहीं कर सकेगा।

3. लाईसेंस आवेदकों के आवेदन पत्रों का इंद्राज क्रम से एक पंजिका में लाईसेंस लिपिक द्वारा किया जावें तथा इन लाईसेंस आवेदकों को ड्राईविंग टेस्ट के लिये उपस्थित होने हेतु निश्चित दिनांक व समय दिया जावें। दिनांक व समय देने हेतु कार्यालय में पदस्थापित निरीक्षक/उपनिरीक्षक की संख्या को भी दृष्टिगत रखा जावें। संधारित की जाने वाली पंजिका का प्रारूप निम्नानुसार होगाः-

क्र.स.	दिनांक	आवेदक का नाम	लाईसेंस की श्रेणी	लर्निंग लाईसेंस का विवरण	वाहन चालन परीक्षण का दिनांक व समय

4. अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा आवदेकों कों चालन परीक्षण हेतु समय व दिनाक दूरभाष/लर्निंग लाईसेंस की भॅाति कम्प्यूटराईज्ड माध्यम से देने की व्यवस्था भी की जावें।

5. प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को केवल उन्ही आवेदको का चालन परीक्षण किया जावें जिन्होने इस हेतु पूर्व में ही समय लिया हुआ है।

6. यदि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उनके अधीनस्थ किसी कार्यालय को चालन परीक्षण हेतु शनिवार/रविवार को भी चालन परीक्षण करने की अनुमति दी जावे तो चालन परीक्षण की ऐसी व्यवस्था हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को भिजवाये जावे।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सख्ती से की जावै अन्यथा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(गायत्री राठौड)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांकः एफ 7(51)परि/नियम/मु./2006/पार्ट-III/30654-657 जयपुर, दिनांकः 20.11.2015

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)